(ग) विशेष पुलिस अधिकारी अवैतनिक और पुलिस की सहायता करने के लिए स्वयंसेवी कार्यकर्ता होते हैं। सरकारी खर्च पर कोई वस्तु-पूरक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं।

Central Assistance to Bihar to improve economic conditions in Naxalite-Infested areas

205. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HGME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Government have agreed to provide financial assistance to the Bihar Government to implement schemes aimed at improving the economic conditions in the naxalite-infested areas in the State;

Ob) if so, the quantum of assistance promised;

(c) the details of the schemes pro-po.sed to be implemented in this connection; and

(d) whether the Central Government would sanction ad-hoc assistance to the State Govetnmemnt for better implementation of the schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM); (a) to (d) The Planning Commission has already finalised the Five Year Plan for Bihar giving utmost consideration to its economic backwardness within- the approved formula of Central assistance. Further an action plan to curb the Naxal and castf violence covering the three highly infested districts of Jahanabad, Aurangabad and Gaya has been prepared. A detailed programme of development of these three districts has been drawn up involving an additional lay out of Rs. 26 crores of which Rs 10 crores are to be provided by the Central Government and *be remaining to be mobalised by the State Government. The development plan covers land reform, distribution of surplus land and minor irrigation etc.

राजभाषा अधिनियम की रजत जयन्ती

206. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1988-89 का वर्ष राजभाषा अधिनियम का रजत जयंती वर्ष है और क्या विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस रजत जयंती वर्ष को बनाये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है,; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 को पारित किए हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। इस अधिनियम की रजत जयंती मनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ख) संसद द्वारा अनेकों अधिनियम पारित किए गए हैं। उनकी रजत जयंती मनाने की प्रणाली नहीं है। पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के सिलसिलें में राजभाषा विभाग की ओर से एक राजभाषा सम्मेलन का आयोजन इसी वर्ष किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। इसलिए राजभाषा अधिनियम की रजत जयंती मनाने की विशेष आवश्यकता नहीं।

हिन्दी सलाहकार समितियां

207. **डा० रत्नाकर पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीत किन-किन मंत्रालयों में अभी तक हिंदी सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है;

(ख) किन-किन मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन नहीं किया गया है ; और इन सलाहकार समितियों की बैठकें कब से नहीं बुलाई गई हैं; और

(ग) किन-किन मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की चार-चार बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अभी हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) मंत्रालयों/विभागों की सूची जहां हिन्दी सलाहकार समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनकी वर्तमान समितियों की अन्तिम बैठक की तिथि का विवरण संलग्न अनुपत्र–I में दिया गया है।

(ग) विभिन्न हिन्दी सलाहकार समितियों की पिछले वित्तीय वर्ष में हुई बैठकों का ब्यौरा अनलग्नक–2 में दिया गया है। राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को छोड़कर बाकी मंत्रालयों/विभागों में वर्ष में 4 से कम बैठकें आयोजित की गई।

अनुपत्र–I

मंत्रालयों/विभागों की सूची का विवरण जहां हिन्दी सलाहकार समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है

क्र०सं०	मंत्रालय/विभाग	वर्तमान समिति का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि	वर्तमान समिति की अन्तिम बैठक की तिथि
1.	इलैक्ट्रानिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग	15.7.88	8.6.88
2.	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	12.9.88	30.8.88
3.	गृह मंत्रालय	25.6.88	4.2.88
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	9.9.88	7.9.88
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग	30.7.88	21.3.88
6.	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	29.3.88	28.3.88
7.	विधि और न्याय मंत्रालय	28.7.88	10.3.88
8.	शहरी विकास मंत्रालय	10.7.88	17.6.88
9.	श्रम मंत्रालय	2.7.88	27.6.88
10.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	16.7.88	28.4.88

अनुपत्र–II

हिन्दी सलाहकार समितियों की 1987–88 के दौरान हुई बठकों की संख्या

क्र०सं०	मंत्रालय/विभाग	1987–88 में आयोजित बैठकों की सं०
1.	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग	1
2.	इस्पात और खान मंत्रालय	2
3.	इलैक्ट्रानिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग	1
4.	उद्योग मंत्रालय	2
5.	कल्याण मंत्रालय	2
6.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	1
7.	कृषि मंत्रालय	1
8.	कोयला विभाग	2
9.	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	2
10.	गृह मंत्रालय	2
11.	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
12.	जल संसाधन मंत्रालय	—
13.	नागरिक परिवहन मंत्रालय	1
14.	पर्यटन मंत्रालय	2
15.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2
16.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2
17.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	1
18.	योजना मंत्रालय	1
19.	रक्षा मंत्रालय	2
20.	रेल मंत्रालय	3
21.	वस्त्र मंत्रालय	2
22.	वाणिज्यिक मंत्रालय	2
23.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग	2
24.	राजस्व विभाग	4
25.	आर्थिक कार्य विभाग	4
26.	विदेश मंत्रालय	3
27.	विद्युत विभाग	2
28.	विधि और न्याय मंत्रालय	4
29.	शहरी विकास मंत्रालय	2
30.	श्रम मंत्रालय	2
31.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	5
32.	संचार मंत्रालय	1
33.	संसदीय कार्य मंत्रालय	2
34.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	1